कार्यालय तहसीलदार डिबाई

पत्रांक 711(9) /र0का0 दिनांक 25 नवम्बर,2019

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील डिबाई के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पटटा आवंटन शिविर का आयोजन शासनादेश संख्या 3756–1–2/95 रा0–0 दिनांक –17–10–1995 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुसार पंजीकरण मछुआ समितियॉ /समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर तहसील डिबाई के सभागार में दिनांक 10.12.2019 को प्रातः 10.00 बजे किया जायेगा। मत्स्य पालन पटटा हेतु प्रार्थना पत्र इच्छुक व्यक्तियों से प्रातः 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक लिए जाऐगे। अपराहन 2 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जाऐगा ,तथा अपराहन 2 बजे के बाद सामान्य वरीयता समूह में नीलामी के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जाऐगी। नीलामी की धनराशि उ0प्र0 राजस्व सहिता नियमावली 2006 में निहित प्रावधान के अनुसार होगी। उपस्थित व्यक्तियों मे से समान वरीयता समूह में सर्वाधिक बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन कार्यवाही की जाऐगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन की तिथि से 6 माह पुराना न हो) प्रार्थना पत्र के साथ नियत तिथि समय स्थान पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सर्वाधिक बोली दाता को नीलामी के तत्काल उपरान्त 10 वर्षीय लगान का 1/4 भाग जमा करना होगा।पटटा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय डिबाई को होगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(हे0में)	क0सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(हे0में)
1	गंगागढ	101मि	1.119	11	ईशनपुर	78स 215	0.129 0.253
2	रामबिलौनी	147	1.201	12	सतोहा	703म	0.885
3	गौसमी	63	1.088	13	दोगवा	281	4.249
4	बेलौन	452/4	3.414	14	जलालपुर जटट	242	0.443
5	तलवार	71	2.225	15	उमरारा	401	0.443
6	त्रिलोकपुर	69 88	0.291 0.304	16	खुशरूपुर	43स 44स 55	0.190 0.038 0.101
7	उमरारी	203स 191	0.519 0.240	17	नवीपुर खेडिया	68 281	0.304 0.240
8	भोपतपुर	100	0.607	18	जरगवा	1701 906	0.594 0.430
9	परिहावली	251स	0.620	19	नित्यानन्दपुर	152	0.885
10	रसूलपुर उर्फ नरायनपुर	79 88 89 472 626मि	2.176 1.922 1.429 0.607 1.012				

25.11.19

तहसीलदार
डिबाई।

पत्रांक /र0का0 /मत्स्य पटटा/2019–020 दिनांक –

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी महोदय बुलन्दशहर की सेवा मे सादर अवलोकनार्थ।

2– तहसीलदार डिबाई/ सिकन्द्राबाद/खुर्जा/स्याना/अनूपशहर/शिकारपुर/बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

3– सहायक निदेशक मत्स्य , बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु एवं मछुआ समुदाय को अवगत कराने हेतु।

4– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी , बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।

5– अपर जिला सूचना अधिकारी , बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थनीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

6– सम्पादक महोदय, हिन्दुस्तान टाईम्स , नव भारत टाईम्स , पंजाब केसरी , अमर उजाला , दैनिक जागरण को उक्त विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु ।

7– खण्ड विकास अधिकारी डिबाई /दानपुर को इस आशय से कि विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार कराये।

8– राजस्व निरीक्षक डिबाई/दानपुर को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धितउक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के माध्यम से मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पटटा शिविर की तिथि को कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु।

9– सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान /अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को सूचनार्थ।

तहसीलदार
डिबाई।

r-k2014

Scanned by CamScanner